इसे वेबसाइट**www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026–फाल्गुन 22, शक 1947

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र एफ-1/1/34/0003/2026-ESTT-04(FIN) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भरती नियम-1967 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 14 (पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें) के उप नियम 2 के पश्चात् निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात् :-

"(1). समिति पदों पर पदोन्नति के लिये ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने अनुसूची-दो में उल्लेखित पदों पर 03 वर्षों की सेवा (स्थानापन्न अथवा मूल रूप में) पूरी कर ली हो।

(2). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति-2023 के अंतर्गत नियम 5.1.2 (पद के उन्नयन/पदोन्नति) अनुसार संवर्ग (अकार्यपालिक - सहायक संपरीक्षक) में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नति के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक अधिकारी को **पदोन्नयन/पदोन्नति** प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण नियत अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।

(3). <u>मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षणः-</u> **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में (अकार्यपालिक - सहायक संपरीक्षक) अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे**, जिनका उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान तथा मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

(4). <u>विशेष प्रशिक्षणः-</u> **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के अनुरूप** निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी सहायक संपरीक्षकों को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे सहायक संपरीक्षकों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

(5). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के नियम-10 एवं 11 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षकों को सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि में न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।"

2. नियम 17 (परिवीक्षा) को निम्नानुसार नियम से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 03 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में राज्य शासन द्वारा क्षमता विकास नीति-2023 के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र.:एफ-1/1/34/0003/2026-ESTT-04(FIN) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम-1991 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 14 (पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें) के उप नियम 2 के पश्चात् निम्नानुसार नियम सम्मिलित किया जाता है, अर्थात् :-

"(3). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति-2023 के अंतर्गत नियम 5.1.2 (पद के उन्नयन/पदोन्नति) अनुसार संवर्ग में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नति के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक अधिकारी को **पदोन्नयन/पदोन्नति** प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण नियत अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।

(4). मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षणः- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन,वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे**, जिनका उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान तथा मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

(5). विशेष प्रशिक्षणः- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के अनुरूप** निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

(6). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त, विभाग) के नियम-10 एवं 11 के अंतर्गत अधिकारियों को सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि में न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।"

2. नियम-19 (परिवीक्षा):- के नियम को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:-

"सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को **02** वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में राज्य शासन द्वारा क्षमता विकास नीति-2023 के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र एफ-1/1/34/0003/2026-ESTT-04(FIN) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि अधीनस्थ संपरीक्षा सेवा भरती नियम-2026 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 15 (पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें) को निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"(1). विभागीय पदोन्नति समिति, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लेखित सेवा के कर्मचारियों के मामलें में विचार करेंगी।

"(2). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति-2023 के अंतर्गत नियम 5.1.2 (पद के उन्नयन/पदोन्नति) अनुसार संवर्ग में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नति के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक अधिकारी को **पदोन्नयन/पदोन्नति** प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण नियत अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।

(3). <u>मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षणः-</u> **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे,** जिनका उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान तथा मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

(4). <u>विशेष प्रशिक्षणः-</u> **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के अनुरूप** निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

(5). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र.शासन, वित्त विभाग) के नियम-10 एवं 11 के अंतर्गत अधिकारियों को सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि में न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्रमांक एफ 1/1/34/0001/2026/ई/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करने हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 अंतर्गत् परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण के पश्चात् निम्नलिखित नियम, अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"13 (क). मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति 2023 के अनुरूप प्रशिक्षण के सोपान

13 (क).1 अनिवार्य प्रशिक्षण:-

13 (क).1.1 <u>परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण</u>:- परिवीक्षा अवधि का मुख्य उद्देश्य नव नियुक्त अधिकारियों को विभागीय कार्यप्रणाली, सुसंगत नियमों एवं निर्देशों की सम्यक जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रभावी उपयोग कर सकें। राज्य शासन द्वारा सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासन द्वारा विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सहभागिता करें एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करें। तदनुसार, **मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

13 (क) 1.2 पद के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण हेतु मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के नियम-4 में वर्णित संवर्गों में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नयन के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक अधिकारी को पदोन्नयन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण नियत अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।

13 (क).2 <u>मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षण</u>:- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे,** जिनका उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान तथा मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

13 (क).3 <u>विशेष प्रशिक्षण</u>:- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के अनुरूप** निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

13 (क).4 मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीनि, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के नियम-10, 11 एवं 12 के अंतर्गत वित्त सेवा के अधिकारियों को सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि में न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्रमांक एफ 1/1/34/0001/2026ई/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, भाग सात-नियुक्ति, परिवीक्षा तथा वेतन के पश्चात् निम्नलिखित भाग, अतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"भाग सात (क) मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति 2023 के अनुरूप प्रशिक्षण"

26. प्रशिक्षण के सोपान :-

प्रशिक्षण के निम्नांकित सोपान हैं:-

26.1 अनिवार्य प्रशिक्षण:-

26.1.1 परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण:-राज्य शासन द्वारा सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासन द्वारा विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सहभागिता करें एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करें। तदनुसार, **मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

26.1.2 पदोन्नति/समयमान वेतनमान के लिए प्रशिक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के नियम-4 में वर्णित संवर्गों में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नयन के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण नियत अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अधिकारी को पदोन्नत पद का समयमान वेतनमान प्रदान किया जाना है, तो उस पद के लिए निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

26.2 मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षण:- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे,** जिनका उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान तथा मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

26.3 विशेष प्रशिक्षण:- **मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) द्वारा** निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी अधिकारियों को प्रदान किया जायेगा.इस हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

26.4 मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. शासन वित्त विभाग) के नियम-10, 11 एवं 12 के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि में न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।

2. उपरोक्तानुसार संशोधनों के उपरांत, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के भर्ती नियमों के भाग– आठ *"निर्वचन, निरसन एवं व्यावृत्ति"* से संबंधित नियमों को क्रमशः नियम 27, नियम 28 एवं नियम 29 के रूप में पढ़ा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्रमांक एफ 1/1/34/0001/2026/ई/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1. भाग–18 (परिवीक्षा/प्रशिक्षण कालावधि) के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

भाग–18 (क) मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 के अनुरूप प्रशिक्षण"

1. प्रशिक्षण के सोपान :-

प्रशिक्षण के निम्नलिखित सोपान होंगे:-

1.1 अनिवार्य प्रशिक्षण:-

1.1.1 परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण:-

राज्य शासन द्वारा सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा तथा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह शासन द्वारा विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सहभागिता करे एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करे। तदनुसार, मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. वित्त विभाग) के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1.1.2 पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु प्रशिक्षण :-

मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. वित्त विभाग) के नियम-4 में वर्णित संवर्गों में प्रवेश के पश्चात, पदोन्नयन के प्रत्येक अवसर हेतु ऑनलाइन अनिवार्य प्रशिक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को पदोन्नति अथवा समयमान

अतिरिक्त, यदि किसी अधिकारी को पदोन्नत पद का समयमान वेतनमान प्रदान किया जाना है, तो उस पद के लिए निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

1.2 मध्य कार्यकाल में प्रशिक्षण :-

मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. वित्त विभाग) के अनुरूप सेवा के मध्य चरणों में मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के अधिकारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य उनके व्यवसायिक कौशल, ज्ञान एवं मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना होगा।

1.3 विशेष प्रशिक्षण :-

मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. वित्त विभाग) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार नवीन वित्तीय प्रक्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों एवं नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों की अद्यतन ज्ञान-क्षमता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

1.4 प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर :-

मध्यप्रदेश क्षमता विकास नीति, 2023 (म.प्र. वित्त विभाग) के नियम-10, 11 एवं 12 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के अधिकारियों को उनकी सेवावधि के अनुरूप निर्धारित प्रशिक्षण समयचक्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले उच्च पद पर उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण क्रेडिट स्कोर देय होगा, जिसके लिए धारित पद एवं प्रस्तावित उन्नयन पद के मध्य की सेवावधि के दौरान न्यूनतम चार अनिवार्य प्रशिक्षणों का सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.